न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– 57 / 2024

1. सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राह्म्ण निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :- 19/06/24

-: निर्णय :-

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 1007 तादादी 03.6923 हेक्ट., खसरा सं. 2052/33 तादादी 08.7883 हैक्ट., खसरा सं. 262 तादादी 09.1297 हेक्ट.. खसरा सं. 294 तादादी 0.1012 हेक्ट. कुल तादादी 21.7115 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थिनी का नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री रामस्वरूप सरंक्षक जरिये निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थिनी का नाम सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप सही हैं। प्रार्थिनी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिनी का नाम सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थिनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थिनी जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थिनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही धीरवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 1007 तादादी 03.6923 हेक्ट., खसरा सं. 2052/33 तादादी 08.7883 हैक्ट., खसरा सं. 262 तादादी 09.1297 हेक्ट., खसरा सं. 294 तादादी 0.1012 हेक्ट. कुल तादादी 21.7115 हैक्ट. में प्रार्थिनी के नाम सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थिनी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थिनी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिनी अपना नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री रामस्वरूप सरंक्षक जरिये निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप के स्थान पर सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप करवाने चाहते हैं। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी के नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री रामस्वरूप सरंक्षक जरिये निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप ही दर्ज है। अतः प्रार्थिनी के नाम नाबालिग प्रियंका पुत्री रामस्वरूप सरंक्षक जरिये निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप के स्थान पर सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थिनी के दस्तावेजीय नाम सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 1007 तादादी 03.6923 हेक्ट., खसरा सं. 2052/33 तादादी 08.7883 हैक्ट., खसरा सं. 262 तादादी 09.1297 हेक्ट., खसरा सं. 294 तादादी 0.1012 हेक्ट. कुल तादादी 21.7115 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थिनी के नाम **नाबालिग प्रियंका पुत्री रामस्वरूप सरंक्षक जरिये निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप** के स्थान पर **सोनू फटवालिया पुत्री रामस्वरूप** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/06/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)